

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
सप्तम मण्डल, गोरखपुर।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र प्रीति विहार,
नई दिल्ली।

पत्रांक आशु0/

/2015-16

दिनांक-25 जून, 2015

विषय :-

श्री कृष्णा एकेडमी, एल0-1, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर को सेण्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया जाना।

महोदय,

उर्पयुक्त विषय के सन्दर्भ में अवगत कराना है, कि माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं को काँसिल फॉर दी इण्डियन सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन, नई दिल्ली/सेण्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र राज्य सरकार के स्थान पर सम्बन्धित मण्डल के मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिये जाने के निर्देश हैं। मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक-22.06.2015 में लिये गये निर्णय के अनुसार श्री कृष्णा एकेडमी, एल0-1, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है-

1. विद्यालय के पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे, और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद्/बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी, और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है, तथा विद्यालय की सम्बद्धता आई0सी0एस0ई0 नई दिल्ली से (काँसिल फार दी इण्डियन सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन, नई दिल्ली)/सी0बी0एस0ई0 बोर्ड नई दिल्ली से प्राप्त होती है, जो उस परीक्षा परिषद् से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।
5. संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के अनुमन्य वेतन मानों तथा अन्य भत्ते से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
6. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी, और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उ0प्र0 विद्यालय के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
7. राज्य सरकार/विभाग द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
8. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित पंजीकाओं में रखा जायेगा।
9. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

Principal

SRI KRISHNA ACADEMY

AL-1, Sec-7 GIDA Gprakhp & 273209

Manager

.....2

(2)

उक्त प्रतिबन्धों का अनुपालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा, और यदि किसी समय यह पाया जाता है, कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है, अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है, तो उक्त प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था का होगा।

भवदीय,

(सूरज नारायण मिश्र),
संयुक्त शिक्षा निदेशक,
सप्तम मण्डल, गोरखपुर

पृष्ठांकन संख्या आशु/ 2297-2304 /2015-16 तददिनांक-
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा-7 अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
3. जिलाधिकारी, गोरखपुर।
4. शिक्षा निदेशक (मा०), उ०प्र० लखनऊ।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर।
6. प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, जी०डी० श्री कृष्णा एकेडमी, एल०-1, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर।
7. गार्ड फाईल।

(सूरज नारायण मिश्र), 22/6/2015
संयुक्त शिक्षा निदेशक,
सप्तम मण्डल, गोरखपुर

Principal
SRI KRISHNA ACADEMY
AL-1, Sec -7 GIDA Gorakhpur 273209

Manager
SRI KRISHNA ACADEMY
AL-1, Sec-7, GIDA, Gorakhpur-273209